



मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय-ब्लॉक नं. 07, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर, (मध्य प्रदेश)

CIN : U40109 MP2002SGC015120 Website : www.mpez.co.in

कार्या. मुख्य.महाप्रबंधक (प्रवर्तन), ब्लॉक नं. 07, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर

दूरभाष नं. 0761.2702330ए फैक्स नं. 0761.2661613ए E-mail:- cgmenfoez@gmail.com

क्रमांक / म.म.प्र. / प्रव. / पूर्व क्षेत्र / 402

जबलपुर, दिनांक 5-7-2021

प्रति,

आवश्यक

मुख्य अभियंता (ज.क्षे. / सा.क्षे. / री.क्षे. / शह.क्षे.)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.
जबलपुर / सागर / रीवा / शहडोल।


विषय:- नेशनल लोक अदालत दिनांक 10 जुलाई 2021 (द्वितीय शनिवार) के लिये नोडल अधिकारियों की नियुक्ति बवत्।

संदर्भ:- क.पू.क्षे. / मु.म.प्र. / वाणिज्य / राजस्व / 903 जबलपुर दिनांक 29.06.2021

प्रदेश में दिनांक 10 जुलाई 2021 (द्वितीय शनिवार) को होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय न्यायाधीश के समन्वय से सुचारु संचालन तथा अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु म.प्र.पूर्व. क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. जबलपुर की ओर से निम्नानुसार नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं :-

1. वृत्त मुख्यालय पर - अधीक्षण अभियंता (संचा / संचा / शहर)
2. संभागीय मुख्यालय पर - कार्यपालन अभियंता (संचा / संचा / शहर)
3. अन्य मुख्यालय पर - अधीक्षण अभियंता द्वारा नामित अधिकारी

उक्त नोडल अधिकारी माननीय लोक अदालत की कार्यवाही में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मान. न्यायाधीशों से समन्वय स्थापित करते हुये अधिक से अधिक संख्या में विद्युत प्रकरणों का निराकरण विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों एवं नेशनल लोक अदालत हेतु जारी निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करायेंगे।


मुख्य महाप्रबंधक (प्रवर्तन)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.जबलपुर

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य महाप्रबंधक (मा.स.एवं प्रशा.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.जबलपुर।
2. मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.जबलपुर।
3. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.जबलपुर।
4. मुख्य (कम्प्यूटर पद्धति एवं संचलन), म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.जबलपुर।
5. अधीक्षण अभियंता (संचा / संचा) / (शहर) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. समस्त।
6. कार्यपालन अभियंता (संचा / संचा) / (शहर) / (प्रवर्तन) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.समस्त।
7. वरिष्ठ / क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.समस्त।
8. जन संपर्क अधिकारी, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. जबलपुर।